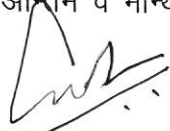


:- नीलामी सूचना :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला एवं सेशन न्यायालय, मेड़ता के कार्यालय के अधीन मेड़ता मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों का अनुपयोगी/ नकारा सामान लोहे व लकड़ी का फर्नीचर, टाइपराइटर व अन्य सामान की नीलामी न्यायालय परिसर में दिनांक 29.09.2026 को कार्यालय समय में दोपहर 01:30 बजे खुली बोली द्वारा की जावेगी । इच्छुक व्यक्ति/खरीददार किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में उक्त सामान का अवलोकन कर सकते हैं । नीलामी की शर्तें निम्नानुसार है :-

1. नीलामी बोली लगाने के पूर्व प्रत्येक बोली दाता को 5000/- अक्षरे पांच हजार रुपये बतौर अरनेस्ट मनी जमा करवाने होंगे । नीलामी बोली में असफल रहने पर नीलामी समाप्ति पर लौटा दिये जायेंगे ।
2. नीलामी अधिकारी को बिना कोई कारण बताये नीलामी तिथि स्थगित करने तथा अधिक बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
3. नीलामी की बोली समस्त सामान की एकमुश्त होगी जिस पर बोलीदाता द्वारा ही नियमानुसार जीएसटी जमा करवाया जायेगा । बोली दाता का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है ।
4. यह सामान "जहां है और जैसी स्थिति में है" के आधार पर निलाम किया जाना है ।
5. अधिकतम नीलामी की राशि बोली देने वाले के नाम नीलामी समाप्त करना या न करना अधोहस्ताक्षरकर्ता के अधीन होगा ।
6. अधिकतम बोली लगाने वाले को उसकी बोली स्वीकार हो जाने पर तत्काल बोली मूल्य धरोहर राशि का समायोजन करते हुए जमा करवाना होगा एवं अनुबंध इस आशय का करना होगा कि वह अपने खर्चे पर समस्त सामान नीलामी की तारीख के 2 दिवस के भीतर कार्यालय से उठा लेगा अन्यथा उसके द्वारा जमा करवायी गयी राशि एवं नीलामी पूर्व जमा राशि जब्त सरकार मानी जावेगी एवं उक्त सामान पुनः नीलाम किया जावेगा ।
7. किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा ।

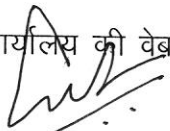

अध्यक्ष(व्ययन समिति)
न्यायाधीश,
विशिष्ट न्यायालय,
अ.जा. एवं अ.ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण,
मेड़ता

क्रमांक : ²¹⁷.....

दिनांक : 10.9.26

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं प्रचार हेतु प्रेषित है :-

1. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय, मेड़ता
2. नोटिस बोर्ड, समस्त जिला एवं सेशन न्यायालय, राजस्थान
3. नोटिस बोर्ड समस्त अधीनस्थ न्यायालय, मेड़ता न्यायक्षेत्र
4. नोटिस बोर्ड, नगरपालिका, मेड़ता
5. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, मेड़ता को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु ।


अध्यक्ष(व्ययन समिति)
न्यायाधीश,
विशिष्ट न्यायालय,
अ.जा. एवं अ.ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण,
मेड़ता